छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 213/2008

1. श्री देवेन्द्र दानी, — अपीलार्थी
प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ,
धमधा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, — प्रति अपीलार्थी
प्राचार्य, स्व0 कृष्णाप्रसाद दानी,
शा0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
धमधा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 28 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री देवेन्द्र दानी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/प्राचार्य, स्व0 कृष्णाप्रसाद दानी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धमधा के समक्ष दिनांक 04.12.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16.01.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर समयावधि में निर्णय नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 18.02.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में जानकारी तत्कालीन प्राचार्य ने विलंब से रजिस्ट्री डाक से भेजना बताया, किन्तु अपीलार्थी उस जानकारी से संतुष्ट नहीं थे, अतः निर्देश दिये गये कि संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क अवलोकन कराया जावे और शेष जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में प्राचार्य और अपीलार्थी दोनों निरीक्षण करने/कराने एवं जानकारी देने तथा मिलने में कठिनाई और परस्पर विरोधाभाषी कथन कर रहे थे तो निर्देश दिये गये थे कि जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग उभय पक्ष को अपने समक्ष बुलावे और संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण कराये और पावती आदि देखकर यदि जानकारी नहीं मिली हो तो शेष जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में जब जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भी इसका पालन नहीं हुआ तो विद्यालय का विशेष अंकेक्षण कराने के निर्देश दिनांक 23.01.2009 को दिये गये। इस बीच प्रभारी प्राचार्य ने उपस्थित होकर दिनांक 27.03.2009 को बताया कि तत्कालीन प्राचार्य श्री एस0एन0 गोस्वामी निलंबित हो गये है और उन्होंने पूरा रिकार्ड प्रभार में नहीं दिया है, जिसके कारण निरीक्षण कराया जाना संभव नहीं हो सका। प्रकरण में अगली दो पेशियों पर यह स्थिति रहने के कारण तत्कालीन प्राचार्य श्री गोस्वामी को विलंब एवं जानकारी उपलब्ध कराने में बाधा पहुंचाने के लिए पच्चीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 11.08.2009 को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन सभी पक्षों की अंतिम सुनवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से विभागीय जॉच तथा विशेष अंकेक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाकर प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें आरोप क्रमांक–4, 5, 6 एवं 7 सिद्ध पाया गया है, किन्तु साथ ही यह भी बताया गया कि कुछ रिकार्ड विशेष अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराने के कारण विशेष अंकेक्षण भी पूरा नहीं हो पाया। श्री गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में बताया गया कि संबंधित दस्तावेज आलमारी में सुरक्षित रखा जाता था और उन्हें कोई सूचना नहीं देते हुए ताला तोड़ा गया और चाही गई जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी गई और पुनः भी उपलब्ध करायी गई है तथा प्रकरण भी मानवाधिकार में दिया गया है और यदि कोई रिकार्ड नहीं मिलता है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया जाना चाहिए। श्री गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूरी तरह से संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है और जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी को दिलवाये जाने के संबंध में पर्याप्त प्रयास किया जाना प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि श्री गोस्वामी से संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए पंचनामा बनाकर ताला तोड़ा गया। प्रकरण में पूरी स्थिति यह दर्शाती है कि विद्यालय के रिकार्ड में भारी गड़बडी होने की आशंका है, जो जिला शिक्षा अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है और विशेष अंकेक्षण

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

दल की रिपोर्ट में भी यह स्थिति सामने आयी है। अतः प्रकरण में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को यह निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित तत्कालीन प्राचार्य श्री एस0एन0 गोस्वामी, जो निलंबित है उनके विरूद्ध विभागीय जॉच में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाकर नियमानुसार निर्णय लें, यदि वे दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें दण्डित किया जावे। साथ ही इस विद्यालय के विशेष अंकेक्षण को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाकर उस प्रतिवेदन में जो कमियॉ एवं वित्तीय अनियमिततायें पाई जावे उसके संबंध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जावे, यदि आवश्यक हो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग ने प्रथम अपील में सुनवाई कर समयावधि में निर्णय क्यों नहीं लिया, इस हेतु संचालक, लोक शिक्षण उनसे स्पष्टीकरण लें तथा यदि उनका दोष पाया जाता है तो उनके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जावे। साथ ही वर्तमान प्राचार्य को भी निर्देश दिये जाते है कि वे भी अब समस्त रिकार्ड को संकलित करके इस विद्यालय का रिकार्ड सुव्यवस्थित करें और अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराने के उपरांत एक माह के अन्दर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध करायी जावे। प्रकरण में चूंकि विलंब के लिए श्री एस0एन0 गोस्वामी ही मुख्यतः जिम्मेदार थे और उन्होंने पूर्व में भेजी गई जानकारी के बारे में कोई पावती आदि प्रस्तुत नहीं की है और बाद में पूरा प्रभार नहीं देकर जानकारी उपलब्ध कराने में बाधा पहुॅचायी है, अतः उन्हें विलंब के लिए दोषी मान्य किया जाकर उन पर दस हजार रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत आरापित की जाती है। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 300/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com